रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 1980/आषाढ़ 24, 1902
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 1980/ASADHA 24, 1902

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 14 AUG 80 GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1980

संख्या पी. डब्ल्यू./पी. ई. बी.-2/80.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना की तारीख से श्री के. के. उणावत, आई. ए. एस. (महाराष्ट्र-1954) को अगला आदेश होने तक बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष के रूप में उस तिथि से नियुक्त करती है जिस तिथि से वह इस पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं ।

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1980

No. PW/PEB-2/80.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri K. K. Uppal, IAS (MH-1954) as Chairman, Bombay Port Trust, with effect from the date he takes over charge of the post and until further orders.

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980